जिला स्तरीय गौशाला पुरस्कार, प्रशस्ति–पत्र वितरण कार्यक्रम

जिला स्तरीय गौशाला पुरस्कार, प्रशस्ति–पत्र वितरण कार्यक्रम वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश की 1380 पंजीकृत क्रियाशील गौशालाओं में प्रतिस्पर्धा विकसित करने एवं स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी के अवसर पर जिलों में स्थित एक सर्वश्रेष्ठ गौशाला को जिला स्तरीय पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र वितरण कर सम्मानित किया जाता है।

उद्देश्य :–

1. गौशालाओं में गौसंवर्धन, गौसंरक्षण, हरा चारा विकास उत्पादन, पंचगव्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन एवं विपणन के सम्बन्ध में चर्चा एवं प्रतिस्पर्धा विकसित करना।
2. गौशालाओं को आत्मनिर्भरता की तरफ प्रेरित करना।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	वित्तीय प्रावधान (रूपये में)	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि
1.	2015–16	3,63,000/–	22	21
2.	2016–17	3,63,000/–	33	–

इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के सभी 33 जिलों की क्रियाशील पंजीकृत गौशालाओं में से एक सर्वश्रेष्ठ पंजीकृत गौशाला का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाकर सम्बन्धित जिला कलक्टर से अनुमोदनोपरांत रू. 10,000/– (अक्षरे रू. दस हजार) का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति–पत्र, राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 2017 पर वितरण कर सम्मानित किया जावेगा।

चयन समिति :–

1. जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग — अध्यक्ष
2. जिला कलक्टर द्वारा नामित अधिकारी जो कम से कम तहसीलदार स्तर का हो। — सदस्य
3. उप निदेशक, पशुधन विकास/बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय। — सदस्य
4. तहसील स्तरीय एक वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी। — सदस्य

चयन समिति द्वारा जिले की समस्त गौशालाओं से आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। तत्पश्चात् निम्नलिखित 7 बिन्दुओं के आधार पर कुल 70 अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

1. गौवंश चिकित्सा सुविधा हेतु स्वयं का निजी स्टाफ।
2. गौसंवर्धन, गो संरक्षण एवं हरा चारा विकास उत्पादन कार्यक्रम।
3. गौशाला में दुधारू गौवंश की संख्या के आधार पर औसत दुग्ध उत्पादन।
4. पंचगव्य उत्पादों (दूध, दही, घी, गोबर एवं गौमूत्र) का मूल्य संवर्धन एवं विपणन।
5. गौशाला द्वारा स्वंय के संसाधन से अर्जित आय (दान व सरकारी सहायता मान्य नहीं)
6. गौ आवास (पेयजल एवं बिजली सुविधा) स्वच्छता एवं प्रबन्धन।
7. गुरूगोलवलकर जनसहभागिता, बायोगैस संयंत्र निर्माण में जमा अंशदान एवं निर्माण कार्य की प्रगति।

नियम व शर्तें :–

1. राजस्थान गौशाला पंजीयन अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अगर कई गौशालाएं पंजीकृत हो तो ऐसी स्थिति में एक ही पंजीयन संख्या पर विभिन्न जिलों में केवल एक जिले की एक गौशाला को ही पुरस्कार वितरण किया जाता है।
2. चयन समिति द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन पर सम्बन्धित जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त करना होता है।
3. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया एवं चयनित गौशालाओं का पूर्ण रिकार्ड संधारित किया जाता है।
4. पुरस्कार वितरण की अग्रिम राशि सम्बन्धित जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को निदेशालय गोपालन द्वारा उपलब्ध करवायी जाती है।
5. पुरस्कार (चैक द्वारा) प्रशस्ति–पत्र व प्रतीक चिन्ह् राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह में दिया जाता है।
6. उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय गोपालन, पशुधन भवन परिसर, टोंक रोड़, जयपुर को पुरस्कार वितरण के 15 दिवस उपरान्त आवश्यक रूप से भिजवाना होगा।
7. विगत वर्ष जिस गौशाला को पुरस्कृत किया जाता है। वह गौशाला अगले वर्ष पुरस्कार की हकदार नहीं होती है।